राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

कमांक प12(3)( ) राज/09/899-906 दिनांक मार्च, 2009

संपरिवर्तन आदेश

श्री पी.आर. बोला एज्यूकेशन सोसायटी मण्ड्रेला, जरिये कोषाध्यक्ष, श्रीमती बिमला देवी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का शिक्षण संस्थान प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थन भू– राजस्व (ग्रामिण क्षैत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्ठियां नीचे दी गई है:–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री पी.आर.बोला एज्यूकेशन सोसायटी मण्ड्रेला जरिये कोषाध्यक्ष, श्रीमती बिमला देवी तहसील चिड़ावा
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौराः (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू खसरा संख्या 929 रकबा कमश 0.54 है0 खसरा संख्या 929 रकबा 0.54 है0 में से 0.49 हैक्टेयर
	टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम	चालान संख्या 610 दिनांक 2.03.09 राशि 46,060/–रू0
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9.	अन्य कोइ विशिष्ठियां यदि कोइ हो	नहीं

Scanned with OKEN Scanner

10	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः– (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिऐ संपरिवर्तित भूमिका उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कियेा बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालाअवधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन क`लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहत हा`जायेगा। (3) नियम–4 में यथा वर्णित भूमिका उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिय`नहीं किया जायेगां। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी। (6) निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग , शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/ परिपत्र एवं दिशा –निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।

जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

कमांक प 12(3)( ) राज/09/ 899-906
दिनांक 2 मार्च, 2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थएवु आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप खण्ड अधिकारी, चिड़ावा।
2. तहसीलदार चिड़ावा।
3. उप पंजियक चिड़ावा।
4. सरपंच ग्राम पंचायत मण्ड्रेला त0चिड़ावा जि0झुन्झुनू
5. श्री पी.आर. बोला एज्यूकेशन सोसायटी मण्ड्रेला, जरिये कोषाध्यक्ष, श्रीमती बिमला देवी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू
6. गार्ड फाईल

जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner